पत्र सं0–लि0से0/बि0रा0मु0नि0–06/2016...780.../जे0,

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव सह–सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/स्वास्थ्य विभाग/नगर विकास एवं आवास विभाग/शिक्षा विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/गृह विभाग/ कृषि विभाग/जल संसाधन विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ समाज कल्याण विभाग / परिवहन विभाग एवं भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाधिवक्ता, बिहार
उच्च न्यायालय, पटना।

पटना, दिनांक 07-02-18

विषयः– **राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक–20.02.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आहुत बैठक के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के नियम 2.4(ए) के तहत गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक का आयोजन दिनांक–20.02.2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में किया गया है। बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के तहत राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्राप्त अभ्यावेदनों (विषय वस्तु संलग्न) पर ही उक्त बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा।

अतएव अनुरोध है कि अपने विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुये वांछित प्रतिवेदन के साथ यथा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उक्त बैठक में भाग लेने की कृपा की जाय।

अनु0:– यथो0।

विश्वासभाजन

सु0प्र0शर्मा 6/2/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव–सह–सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति,
बिहार, पटना।

6/2/18

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका-2.4(क) के तहत् मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष समर्पित आवेदनों की विवरणी:-

क्र0 सं0	आवेदक की विवरणी एवं पक्ष	संबंधित विभाग का पक्ष
1	* श्री सुधाकर उपाध्याय,, से0नि0 चौकीदार, सारण, बिहार। * आवेदक के द्वारा दिनांक-06.02.1964 को लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत चौकीदार के पद पर योगदान दिया गया। झारखण्ड राज्य के बनने के उपरांत दिनांक-15.11.2000 से दिनांक-31.01.2001 तक कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-01, राँची (झारखण्ड) के अंतर्गत कार्यरत रहे। उक्त कार्यालय से आवेदक दिनांक-31.01.2001 को वार्ध्यक सेवा निवृत्त हुए। * आवेदक के अनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0-3ए0-स्वे0पु0-07/2015-3972वि0, दिनांक-12.05.16 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में दिनांक -01.01.1996 के प्रभाव से संशोधन किया गया है। आवेदक के अनुसार वित्त विभाग के उक्त संकल्प में वर्णित समयावधि में वे बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत थे। इस आधार पर आवेदक द्वारा वित्त विभाग के उक्त संकल्प द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में वेतन का पुर्ननिर्धारण करने और तद्नुसार वेतन/पेंशन/उपादान/अवकाश नगदीकरण के बकाये अंतर राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-2298 दिनांक-02.05.2016, पत्रांक-2688 दिनांक-18.05.2017 द्वारा प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। * उक्त के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-01, राँची, झारखण्ड को पत्र लिखते हुए कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिसकी सूचना ज्ञापांक-5612 दिनांक-21.06.2017 द्वारा विधि विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की सूचना अप्राप्त थी। * विधि विभाग द्वारा पुनः एक पत्र पत्रांक-4395 दिनांक-31.07.17 संबंधित विभाग को लिखते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिससे संबंधित सूचना अबतक अप्राप्त है।
2	* श्री राम नारायण शर्मा, से0नि0 क्षेत्र परिचालक, सारण, बिहार। * आवेदक के द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0-3ए0-स्वे0पु0-07/2015-3972 वि0, दिनांक-12.05.16 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से किये गये संशोधन के आलोक में वेतन का पुर्ननिर्धारण करने और तद्नुसार वेतन/पेंशन/उपादान/अवकाश नगदीकरण के बकाये अंतर राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।	* विधि विभागीय पत्रांक-2961 दिनांक-29.05.2017 द्वारा प्रधान सचिव, कृषि विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। * इस संबंध में कृषि विभाग के द्वारा पत्रांक-2473 दिनांक-19.06.2017 के माध्यम से विधि विभाग को सूचित किया गया है कि विभागीय पत्रांक-2355 दिनांक-07.06.2017 द्वारा आवेदक का अभ्यावेदन उनके पैतृक कार्यालय संयुक्त निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार को भेज दी गयी। * पुनः विधि विभागीय पत्रांक-4395 दिनांक- 31.07.17 के आलोक में कृषि

		विभाग द्वारा पत्रांक-3010 दिनांक-28.07.17 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि आवेदक के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निदेश दिया गया है।
3	* श्री रामसिंहासन गिरि, से0नि0 आप्त सचिव, पशु एंव मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार। * आवेदक के द्वारा दिनांक-09.12.1976 से उनकी सेवा की गणना कर दिनांक-09.12.2000 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15000/- में द्वितीय सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन (ACP) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। * आवेदक के द्वारा CWJC No.-18181/2012 श्रवण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक-31.01.2014 को पारित आदेश एवं CWJC No.-22096/2014 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश के आलोक में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक-06.08.2015 को लिये गये निर्णय का उल्लेख अपने दावों के संबंध में किया गया है। * आवेदक का यह भी कहना है कि प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक-18.01.2016 एवं दिनांक- 25.02.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अबतक अप्राप्त है।	* विधि विभागीय पत्रांक-3416 दिनांक-21.06.2017, द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त थी। * पुनः विधि विभाग द्वारा पत्रांक-4395 दिनांक- 31.07.17 के माध्यम से संबंधित विभाग से संबंधित मामले में अग्रेतर कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जिससे संबंधित सूचना अबतक अप्राप्त है।
4	* श्री हरेन्द्र सिंह, निलंबित लिपिक, मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) * आवेदक के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(7) के आलोक में उनका निलंबन आदेश वापस लेने एवं निलंबनादेश की तिथि से कर्त्तव्य पर मानते हुए वेतन आदि का भुगतान करने, निलंबन अवधि का जीवन भत्ता भुगतान करने उनका पदस्थापन किसी कार्यालय में शीघ्र करने एवं आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक निगरानी थाना कांड सं0-41/2016 दिनांक-08.04.16 में प्राथमिक अभियुक्त बनाये जाने के आलोक में परिवहन विभाग के आदेश ज्ञापांक-3092 दिनांक-30.06.16 द्वारा निलंबित है।	* उक्त आवेदन के आलोक में विधि विभागीय पत्रांक-6234 दिनांक-06.10.2017 एवं पत्रांक-6763 दिनांक-07.11.2017 द्वारा प्रधान सचिव, परिवहन विभाग से आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया है, जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त है।